दूरभाष : 01472-294158

क्षैत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ
Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2021–22/ दिनांकः 03.06.2021

–: नीलामी सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चित्तौडगढ के भण्डार के अनुपयोगी, अप्रचलित नकारा सामान की नीलामी खुली बोली द्वारा की जावेगी। नीलामी योग्य निम्नांकित सामग्री का अवलोकन सूचना प्रकाशित दिनांक से नीलामी दिनांक तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में आकर किया जा सकता है।

क्र.सं.	सामग्री विवरण	पुस्तक मूल्य	धरोहर राशि	धरोहर राशि जमा कराने का अन्तिम समय	नीलामी दिनांक एवं समय
1.	सामान्य जैसे टेबल, कुर्सी आदि (जहां है जैसा है)	रू 63,374/–	रू 1,267/–	दिनांक 14.06.2021 सायः 04:00 बजे तक	दि. 15.06.2021 प्रातः 11:00 बजे
2.	ई–वेस्ट जैसे कम्प्यूटर (जहां है जैसा है)	रू 1,63,920/–	रू 3,278/–		दि. 15.06.2021 दोपहर 12:00 बजे
3.	यू.पी.एस. (जहां है जैसा है)	रू 9,544/–	रू 191/–		दि. 15.06.2021 दोपहर 1:00 बजे

नियम एवं शर्ते :–

1. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले उल्लेखित पुस्तक मूल्य की 2 प्रतिशत धरोहर राशि नकद या डी.डी. (जो कि **सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल देय चित्तौडगढ के नाम हो)** जमा करानी होगी। असफल बोली लगाने वालो को धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद लौटा दी जायेगी।
2. सामान्य सामान, ई–वेस्ट एवं यू.पी.एस. उपकरण की नीलामी अलग–अलग होगी। पात्र बोलीदाता एक या तीनो नीलामियों में अलग–अलग धरोहर राशि जमा करवाकर भाग ले सकते है।
3. ई–वेस्ट (कम्प्यूटर) की नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को ई–कचरा (प्रबंधन) नियम 2016 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है, साथ ही सामग्री के एकत्रीकरण एवं निस्तारण करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल/वायु अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत वैध सम्मति पत्र एवं E–Waste Rules के तहत वैध सम्मति तथा प्राधिकार पत्र व उक्त पंजीकरण की प्रति नीलामी के समय प्रस्तुत करने पर ई–वेस्ट नियम संबंधी नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
4. यू.पी.एस. उपकरण की नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को बैटरी वेस्ट प्रबंधन नियम–2020 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त वैध सम्मति पत्र एवं उक्त पंजीकरण की प्रति नीलामी के समय प्रस्तुत करने पर संबंधी नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
5. एक बार बोली समाप्त होने पर अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी और ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा।।
6. नीलाम सामान के परिवहन इत्यादि का समस्त खर्च सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
7. उच्चतम बोली की राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में **सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल देय चित्तौडगढ** के नाम से जमा करवानी होगी, इसके अतिरिक्त उस पर नियमानुसार अधिरोपित जी.एस.टी. राशि जमा करवाकर चालान की प्रति भी कार्यालय में जमा करवानी होगी।
8. नीलामी के दिन नीलाम किये गये अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री की सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। राशि जमा नहीं करवाने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. नीलाम किये गये अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री को नीलामी के दिन ही उठाना आवश्यक है। सामान नहीं उठाने पर 1000/–रू प्रति दिन की दर से जुर्माना वसूला जायेगा।
10. अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री जहां है, जैसी है उसी हालात में नीलाम की जावेगी। अप्रचलित, अनुपयोगी एवं नकारा घोषित सामग्री की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, चित्तौडगढ उत्तरदायी नहीं होगा।

दूरभाष : 01472–294158

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ.सी.आई. गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ

Email :- ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2021–22/ **दिनांकः 03.06.2021**

11. राज्य मण्डल का कोई भी वर्तमान एवं पूर्व कामिक बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
12. बिना कारण बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने बोली को स्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
13. उक्त शर्तो के संबंध में किसी भी सन्देह का समाधान/खुलासे हेतु नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
14. इच्छुक बोलीदाता नीलामी तिथि से पूर्व यदि सामान का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय समय में भण्डार अधिकारी से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते है।
15. किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायक्षेत्र चित्तौडगढ रहेगा।
16. इच्छुक फर्म/संस्था/संबंधित व्यक्ति (कबाडी) बिना किसी शर्त के नीलामी में भाग लेगे।
17. नीलामी में भाग लेने वाली फर्म/संस्था का जी.एस.टी. पंजीयन अनिवार्य होगा, जो सफल बोलीदाता द्वारा नियमानुसार जमा कराया जायेगा।
18. सफल बोलीदाता द्वारा सफल बोली राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अधिरोपित करो (जीएसटी आदि) का भी भुगतान किया जायेगा। जिसके चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
19. नीलामी में भाग लेने हेतु जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पेन कॉर्ड की प्रति एवं एक आई.डी. के साथ स्वयं को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
20. अन्य शर्ते जो कोई भी नीलामी कमेटी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

sd

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक :–राप्रनिम/क्षैका चित्तौडगढ/2021–22/ **दिनांकः**

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं
2. ए.सी.पी., राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा

क्षेत्रीय अधिकारी